**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1366**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 14 मार्च, 2017/ 23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)**

**काले धन के प्रवाह पर रोक लगाया जाना**

**1366. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) आय कर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू स्तर पर कितने कालेधन का पता लगाया गया है;

(ख) सरकार द्वारा काले धन के सोने और रियल एस्टेट में प्रवाह पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय लेन-देन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक प्रवेश को ध्यान में रखते हुए आय कर विभाग के जांच और प्रवर्तन स्कंधों में सामंजस्य स्थापित करने तथा इनके स्तरोन्नयन हेतु कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) **तलाशी और जब्ती**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वित्तीय वर्ष** | **तलाशी किए गए समूहों की संख्या** | **कुल जब्त परिसंपत्ति**  **(करोड़ रुपए में)** | **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अंतर्गत स्वीकृत अघोषित आय (करोड़ रुपए में)** |
| 2013-14 | 569 | 807.84 | 10791.63 |
| 2014-15 | 545 | 761.70 | 10288.05 |
| 2015-16 | 445 | 712.68 | 11066.24 |
| 2016-17 (दिसंबर, 2016 तक)\* | 848 | 1133.37 | 11856.62 |

\* आंकड़ें अनंतिम

**सर्वेक्षण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वित्तीय वर्ष** | **कराए गए सर्वेक्षणों की संख्या** | **पता लगी अघोषित आय (करोड़ रुपए में)** |
| 2013-14 | 5327 | 90390.71 |
| 2014-15 | 5035 | 12820.33 |
| 2015-16 | 4422 | 9654.80 |
| 2016-17  (दिसंबर, 2016 तक)\* | 5015 | 9454.47 |

\* आंकड़ें अनंतिम

इसके अलावा, आयकर घोषणा योजना, 2016 के अंतर्गत सरकार के पास 64,275 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 65,250 करोड़ रुपए की अघोषित आय की घोषणा की गई है।

(ख) काले धन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि सोने और भू-संपदा क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल है। सरकार ने विगत हाल ही में भू-संपदा और आभूषण क्षेत्र से संबंधित कई उपाय किए हैं जोकि निम्नलिखित हैं –

i. अगस्त 2016 में बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य घरेलू काले धन की समस्या पर नियंत्रण रखना है और यह संशोधित कानून 01 नवंबर, 2016 से लागू भी हो गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा क्रियान्वयन प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने, उनको जांच कराने का अधिकार देने, अपीलीय तंत्र तैयार करने और जब्त परिसंपत्ति का प्रबंधन करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम से बेनामी परिसंपत्ति को जब्त की जा सकती है और अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है। इससे इस प्रकार बेनामी परिसंपत्ति, विशेषकर भू-संपदा के क्षेत्र में, के रूप में कर अपवंचित धन को रखने के बड़े-बड़े रास्ते बंद हो जाएंगे।

ii. घरेलू अचल परिसंपत्ति संव्यवहार में काले धन को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 269एसएस, धारा 269टी, 271डी और 271ई में संशोधन किया गया है जिससे अचल परिसंपत्ति के अंतरण के मामले में एकाउंट पेयी चैक या एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक एकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से यदि 20,000/- रु. या इससे अधिक की राशि का भुगतान अग्रिम रूप से स्वीकार किए जाने पर निषेध लग गया है और इसमें दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

iii. सरकार ने 01.01.2016 से उन ग्राहकों के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है जो 2,00,000/- रु. से अधिक के आभूषण की खरीद करते हैं इसके पहले यह सीमा 5,00,000/- रु. थी।

iv. अधिसूचना संख्या 95/2015 दिनांक 30.12.2015 को जारी करके आयकर नियमावली की धारा 114बी में उपयुक्त संशोधन कर दिया है जिसके दौरान 2,00,000/- रु. से अधिक की किसी भी प्रकार के वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद के संव्यवहार में पैन का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है।

v. नकद व्यवस्था को सीमित रखने के लिए वित्त विधेयक, 2017 के द्वारा इस अधिनियम में धारा 269एसटी और धारा 271डीए को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। धारा 269एसटी में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 3,00,000/- रु. या इससे अधिक की राशि, एकाउंट पेयी चैक या एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक एकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से –

(क) किसी एक व्यक्ति से एक दिन में एकमुश्त नहीं लेगा;

(ख) किसी एक ही संव्यवहार में नहीं लेगा; या

(ग) किसी एक व्यक्ति से किसी एक घटना या अवसर से संबंधित संव्यवहार में नहीं लेगा।

इसके अलावा, धारा 271डीए में यह प्रावधान है कि ऐसे किसी व्यक्ति पर दण्ड लगाया जा सकता है जो प्रस्तावित धारा 269एसटी के उल्लंघन में कोई राशि प्राप्त करता है। यह दण्ड ऐसे प्राप्त राशि के बराबर लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जांच और प्रवर्तन विंग की जांच और प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में इसमें निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं- (i) नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) जिससे कि उन नॉन फाइलर्स का पता लगाया जा सके जिनके बारे में विशेष जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध है, (ii) आईटीबीए का क्रियान्वयन जिसके अंतर्गत आयकर विभाग के सभी वर्टिकल्स के एंड-टू-एंड प्रोसेस, जिसमें जांच विंग भी आती है, को सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है, (iii) प्रोजेक्ट अंतर्दृष्टि का क्रियान्वयन जोकि एक मजबूत और व्यापक डाटा वेयर हाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम है, (iv) सूचना संग्रहण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाना जिससे कि संव्यवहार के बड़े हिस्से को कवर किया जा सके जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यक्तिगत उपभोगपरक खर्च भी आते हैं।

**\*\*\*\*\*\***